राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली

29 दिसंबर, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

हरित आवास एवं अन्य केन्द्रित खंड के तहत रियायती वित्त पोषण

'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) अपनी उदारीकृत पुनर्वित्त योजना के तहत पात्र प्राथमिक ऋण संस्थानों को ब्याज दरों में 25 से 30 बीपीएस की सीमा तक बढ़ी हुई रियायतें प्रदान कर रहा है। यह रियायतें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण, ₹10 लाख तक के ऋण, महिलाओं को ऋण, थर्ड जेंडर/ दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ केन्द्रित खंडों में संस्थागत आवास ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु है।

2070 तक नेट-शून्य प्राप्त करने हेतु COP26 में राष्ट्र की प्रतिबद्धता को देखते हुए, रा.आ.बैंक ने हरित आवास के तहत ऋण हेतु **100 बीपीएस रियायत** देने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के चल रहे उत्सव के भाग के रूप में और भौगोलिक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले क्षेत्रों, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के हैं, में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने हेतु रा.आ.बैंक ने विनिर्दिष्ट आकांक्षापूर्ण जिलों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में ऋण के लिए पुनर्वित्त के तहत **100 बीपीएस रियायत** का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है।

मौजूदा रियायतें दिनांक 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिक जानकारी रा.आ.बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in पर उपलब्ध है।